न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, RAS

पत्रावली संख्या : **293/12(प्रा0पत्र)**

अनवान्

1. श्रीमती सुशीला देवी बेवा हरिदास देवल निवासी खेमपुर तह. मावली।
2. श्रीमती सज्जन (पिता हरिदास) पत्नी कर्नल महावीरसिंह देवल निवासी म.न. 2 जीवनतारा, रिसोर्ट, बलीचा उदयपुर।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री सुरेश पिता हरिदास देवल (चारण) निवासी खेमपुर हाउस ब्रह्पुरी, तितरडी उदयपुर।
2. श्री भगवतसिंह पिता हरिदास देवल (चारण) निवासी खेमपुर की हवेली, रावजी का हाटा, उदयपुर।
3. श्री जगदीशसिंह पिता हरिदास देवल निवासी खेमपुर की हवेली, रावजी का हाटा, उदयपुर।
4. श्रीमती सुमन कुंवर बेवा किशनसिंह देवल निवासी खेमपुरी की हवेली, रावजी का हाटा उदयपुर।
5. श्रीमती प्रकाश (पिता हरिदास) पत्नी अश्वनीकुमार देवल निवासी 102 पंचरत्न कॉम्पलेक्स नया फतहपुरा उदयपुर।
6. श्रीमती चन्द्रकला पत्नी भगवतसिंह देवल निवासी खेमपुर की हवेली, रावजी का हाटा, उदयपुर।
7. श्रीमती सुधा (पिता भगवतसिंह) देवल निवासी खेमपुर की हवेली, रावजी का हाटा, उदयपुर।
8. कुमारी कृष्णा पिता भगवतसिंह देवल निवासी खेमपुर की हवेली, रावजी का हाटा, उदयपुर।
9. श्री कुन्दनमल पिता उंकारलाल जैन (सेठिया) निवासी सनवाड तह. मावली।
10. श्री गोकलसिंह पिता लालसिंह दुलावत राजपूत निवासी माल का खेडा तह. मावली।
11. श्री हिम्मतसिंह पिता मानसिंह दुलावत राजपूत निवासी माल का खेडा तह. मावली।
12. राजस्थान राज्य जरियें तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 16.04.2018

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा खेमपुर तह. मावली की आराजी नम्बर 224 मी., 225 मी. किता 2 रकबा 92 बीघा 15 बिस्वा।
2. प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 1 से 8 की खानदान का सजरा निम्न प्रकार हैं :–

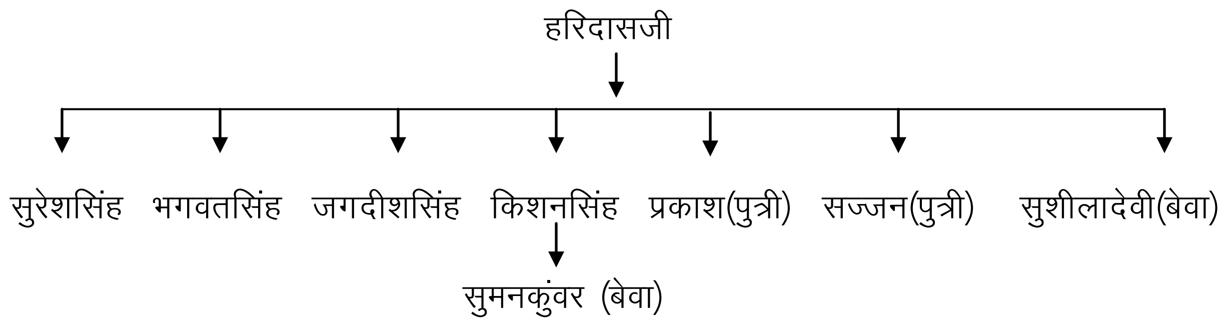

उक्त सजरें में बताये गये हरिदास जी व किशनसिंह की मृत्यु हो गयी हैं।

3. उक्त आराजीयात प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 1 से 5 मौरूसी जायदाद है जो हरिदास जी की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 1 से 3, 5 व किशनसिंह में निहित हुई है तथा प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 1 से 3, 5 व किशनसिंह बराबर हक व हिस्सें से काबिज चले आ रहे है। किशनसिंह जी की मृत्यु हो गयी हैं। किशनसिंह जी की मृत्यु के बाद किशनसिंह जी के हिस्सें पर किशनसिंह जी की बेवा सुमनकुंवर काबिज चली आ रही है इस तरह प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 1 से 5 बराबर हक व हिस्सें से काबिज चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात में प्रत्येक प्रार्थीगण का व विपक्षी सं. 1 से 5 प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा होकर इसी हिस्सेनुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

4. आराजी नम्बर 225 मी. पाल है तथा कुछ समय से कुछ पाल टूट गयी हैं। जिससे तालाब में यानि आराजी नम्बर 224 मी. में पानी नहीं रूकता हैं जिससे पानी का लेबल तथा आसपास के कुओं का पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है इससे पानी की कमी हो गयी हैं। प्रार्थीगण तारीख 06.11.2012 को टूटी पाल को पुनः बनाने के लिए उक्त आराजी पर गयी तो विपक्षी नम्बर 9, 10, 11 उक्त आराजी पर आये व प्रार्थीगण को पाल बनाने से रोक दिया व लडाई झगडझ करने पर आमादा हुए व कुछ समय बाद विपक्षी नम्बर 9, 10, 11 जे.सी.बी. लेकर आये व आराजी नम्बर 224 के मध्य जे.सी.बी. चलाकर डोला डालने लगे, जिस पर प्रार्थीगण ने मना किया तो नहीं माने व लडाई झगडा करने पर आमादा हुए व धमकी दी कि जमीन हमने खरीद ली है अतः आधी जमीन पर हम कब्जा करेगें, जिस पर प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का के पास जाकर जानकारी की, तो उक्त आराजी बिकाव के आधार पर विपक्षी नम्बर 9, 10 व 11 के नाम दर्ज होना बताया, जिस पर पुराने रेकार्ड की नकलें निकलवाई तो मालुम हुआ कि हरिदास जी की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात का विरासत का नामान्तरकरण विपक्षी नम्बर 1 व 2 ने अपने नाम पर खुलवा लिया है जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं होने दी है व इस गलत नामान्तरकरण के आधार पर विपक्षी नम्बर 2 भगवतसिंह जी ने उक्त आराजीयात में अपना 1/2 हिस्सा बतातें हुए 1/2 हिस्सें का दान पत्र अपनी पत्नी चन्द्रकला विपक्षी नम्बर 6 व अपनी पुत्रियों सुधा व कृष्णा विपक्षी नम्बर 7 व 8 के पक्ष में निष्पादित कर रजिस्ट्री करा दी हैं व इस रजिस्ट्री के आधार पर विपक्षी

नम्बर 6, 7, 8 के नाम पर दर्ज करा ली है जो गलत हैं। विवादित आराजीयात प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की है एवं प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 1 से 5 के मध्य अभी तक बंटवाडा नहीं हुआ हैं व बिना बंटवाडा के विपक्षी नम्बर 2 को उक्त आराजीयात का दान करने का कोई हक व अधिकार नहीं हैं तथा विपक्षी नम्बर 2 का उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा नहीं होते हुए भी विपक्षी नम्बर 6, 7, 8 को बिना अधिकार के नुमाईशी दान–पत्र दिनांक 02.05.2007 को निष्पादित करा रजिस्ट्री करा दी है, व दानपत्र के आधार पर विपक्षी नम्बर 6, 7 व 8 ने अपने नाम दर्ज करा ली है, जो प्रार्थीगण के विरूद्व बेअसर व शून्य है। तथाकथित नकले लेने से यह जाहिर आया कि विपक्षी नम्बर 6, 7, 8 ने तारीख 11.10.2012 को 1/6 हिस्सा विपक्षी नम्बर 10 व 11 को नुमाईशी विक्रय कर रजिस्ट्री करा दी है जो भी बिना अधिकार के हैं। इस विक्रय पत्र के जरियें विपक्षी नम्बर 6 से 8 ने विपक्षी नम्बर 9, 10 व 11 को कब्जा नहीं दिया है न विपक्षी नम्बर 6 से 8 का ही कब्जा था क्योंकि विवादित भूमि अविभाजित होकर प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 1 से 5 के कब्जे में चली आ रही हैं। विक्रय पत्र में कब्जा देने का अंकन किया है जो भी गलत है तथा विक्रय पत्र में जिन पडोसों की भूमि को विक्रय करना बताया है ऐसा विक्रय बिना बंटवाडा के नहीं किया जा सकता है, न खरीददार इस तरह जबरन कब्जा करने के अधिकारी हैं। विपक्षी नम्बर 9, 10, 11 स्ट्रेन्जर परचेजर हैं। कथित दान पत्र व बिकावनामा प्रार्थीगण के विरूद्व बेअसर व शून्य हैं।

5. विपक्षी नम्बर 2 का उक्त आराजीयात में 1/7 हिस्सा ही हैं व दानपत्र 1/2 हिस्सें का किया गया है जो बिना अधिकार के है तथा उक्त आराजीयात का सहखातेदारान के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा नहीं हुआ है तथा बिना बंटवारा के किसी भी सहखातेदारान को अपने हिस्सें से ज्यादा भूमि का दान करने का अधिकार नहीं हैं। विपक्षी नम्बर 6, 7, 8 का भी उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा नहीं होते हुए अवैध दानपत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज करा 1/2 हिस्सें का विपक्षी नम्बर 9, 10 व 11 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र निष्पादित कराया है जो बिना अधिकार के हैं।
6. कथित दानपत्र के जरिये विपक्षी नम्बर 2 ने विपक्षी नम्बर 6, 7, 8 को उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर कब्जा नहीं दिया है न विपक्षी नम्बर 6, 7 व 8 ने कथित विक्रय पत्र के जरियें विपक्षी नम्बर 9, 10 व 11 को कब्जा दिया है क्योंकि विपक्षी नम्बर 6, 7 व 8 का भी 1/2 हिस्से पर कब्जा नहीं था न विपक्षी नम्बर 9, 10 व 11 का ही उक्त आराजीयात के किसी भी हिस्सें पर कब्जा हैं।
7. प्रार्थीगण ने तारीख 25.11.2012 को विपक्षीगण को प्रार्थीगण का हिस्सा प्रार्थीगण के नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो विपक्षीगण ने कोई तवज्जा नहीं दी, व विपक्षीगण नम्बर 9, 10 व 11 ने धमकी दी कि जमीन हमने खरीदी है इसलिए हम जबरन कब्जा करेगें तथा यह

भी धमकी दी कि ज्यादा किया तो यह जमीन अन्य को विक्रय कर देगें। अतः प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना व विपक्षीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी करा पाबंद कराना आवश्यक हो गया हैं। वरना विपक्षीगण प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात में जबरन बेदखल कर देगें व अन्य को विक्रय हस्तान्तरण कर देगें। जिससे प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी।

8. अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि वे दावे के निर्णय तक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की वाद में अंकित आराजीयात के हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करने से नहीं रोके, न कोई अवरोध पैदा करें, न जबरन बेदखल करे तथा विपक्षी नम्बर 9, 10 व 11 जबरन कब्जा नहीं करें एव ंना ही उक्त आराजी अन्य किसी को विक्रय, हस्तान्तरण करें मौके व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें एवं पाल बनानें में किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करें, ना ही तालाब का स्वरूप बदलें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2, 6, 7, 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें। विपक्षी सं. 1, 3, 4, 5 द्वारा पर्याप्त समय देने के पश्चात् भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। विपक्षी सं. 9 से 11 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा मौजा खेमपुर, तह. मावली में स्थित आराजी संख्या 224 मी., 225 मी. कुल किता 2 रकबा 92 बीघा 5 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने का कथन स्वीकार हैं किन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतया मिथ्या एवं मनगढ़न्त कथनों पर आधारित होने से निश्चय ही निरस्त योग्य हैं। उत्तरदाता विपक्षीगण सद्भावी क्रेतागण है एवं सजरे में दर्शित परिवार के सदस्य नहीं होने से सजरे में अंकित प्रार्थीगण का स्वर्गीय हरिदास जी की पुत्रीयां होने बाबत् ज्ञान नहीं होने से सजरा अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण अंकित सजरे को पुख्ता साक्ष्य से साबित करावें।

10. प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई भी हित, स्वत्व, अधिकार एवं आधिपत्य हों। यह कथन भी गलत है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की मौरूसी जायदाद हों। इस बाबत् सम्पूर्ण उत्तर आगें विशेष कथन में दिया जा रहा हैं। जब प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हित, अधिकार एवं आधिपत्य ही नहीं हैं तो हरिदास जी की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजीयात का प्रार्थीगण में निहित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। किशनसिंह जी की मृत्यु होने का कथन स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार व आधिपत्य नहीं है तो प्रार्थीगण का यह कथन कि ''उक्त आराजीयात में प्रत्येक प्रार्थीगण का व विपक्षी सं. 1 से 5 प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा होकर इसी

हिस्सेनुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है'', मिथ्या एवं मनगढ़न्त कथन होने से अस्वीकार हैं।

11. प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी नम्बर 225 मी. पाल होने का कथन स्वीकार है किन्तु यह पाल निजी हैं। यह कथन अस्वीकार है कि यह पाल टूट गई हो जिससे तालाब में यानि आराजी नम्बर 224 मी. में पानी नहीं रूकता हो। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर आराजी नम्बर 224 मी. को तालाब गलत प्रकार से अंकित किया गया है, इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात की भौतिक स्थिति का वास्तविक ज्ञान ही नहीं है। आराजी नम्बर 224 मी. रकबा 83 बीघा 10 बिस्वा में 09 बिस्वा भूमि श्मशान की तथा शेष 80 बीघा 1 बिस्वा भूमि बंजड हैं। इस कारण प्रार्थीगण का यह कथन मिथ्या होकर मनमढ़न्त है कि आराजी नम्बर 224 मी. में पानी नहीं रूकने से लेकर पानी का लेवल तथा आसपास के कुओं का पानी का स्तर काफी नीचे चला गया हैं। प्रार्थीगण का तारीख 06.11.2012 को टूटी हुई पाल को पुनः बनाने के लिए आराजी पर जाना, विपक्षी सं. 9, 10 व 11 का मौके पर आना, प्रार्थीगण को पाल बनाने से रोकते हुए लडाई–झगडा करना, कुछ समय बाद विपक्षी सं. 9, 10 व 11 का जे.सी.बी. लेकर आना व आराजी नम्बर 224 के मध्य जे.सी.बी. चलाकर डोला डालना, प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर धमकीयां देना आदि कथन प्रार्थीगण ने जानबूझकर मिथ्या एवं मनगढ़न्त अंकित किये है। उक्त आराजीयात बिकाव के आधार पर विपक्षी सं. 9, 10 व 11 के नाम 1/2 हिस्से से राजस्व अभिलेखों में अंकित होने का कथन स्वीकार हैं किन्तु गलत वादाधार बनाने के लिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उपरोक्त वर्णित मिथ्या कथन अंकित किये हैं। उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण विपक्षी नम्बर 1, 2 के नाम तथा विपक्षी नम्बर 2 से पुनः नामान्तरकरण विपक्षी सं. 6 से 8 के नाम होने बाबत् प्रार्थीगण को शूरू से ही जानकारी हैं एवं उक्त नामान्तरकरण पूर्णतया विधिक अधिकारों के साथ उचित तरीके से होकर सही प्रकार से दर्ज हुए हैं। वादग्रस्त आराजीयात में जब प्रार्थीगण का कोई हित व आधिपत्य ही नहीं है तो प्रार्थीगण का यह कथन कि ''विवादित आराजीयात प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की हैं एवं प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 1 से 5 के मध्य अभी तक बंटवाडा नहीं हुआ है व बिना बंटवाडा के विपक्षी नम्बर 2 को उक्त आराजीयात का दान करने का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा विपक्षी नम्बर 2 का उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा नहीं होते हुए भी विपक्षी नम्बर 6, 7 व 8 को बिना अधिकार के नुमाईशी दान पत्र दिनांक 02.05.2007 को निष्पादित करा रजिस्ट्री करा दी है, व दानपत्र के आधार पर विपक्षी नम्बर 6, 7 व 8 ने अपने नाम दर्ज करा ली है जो प्रार्थीगण के विरूद्व बेअसर व शून्य है'', मिथ्या एवं मनगढ़न्त कथन होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत होकर अस्वीकार है कि विपक्षी नम्बर 6 से 8 ने विपक्षी नम्बर 9 से 11 को जो विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजीबद्व कराये है वे विक्रय पत्र नुमायशी होकर बिना अधिकार के हों, यह भी गलत है कि इन विक्रय पत्रों के

जरिये विपक्षी सं. 6 से 8 ने विपक्षी सं. 9 से 11 को कब्जा नहीं दिया हो, यह भी गलत है कि विपक्षी सं. 6 से 8 का विक्रय से पूर्व कब्जा नहीं हो, यह भी गलत है कि उक्त आराजीयात अविभाजित होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी नम्बर 1 से 5 क कब्जे में चली आ रही हों। प्रार्थीगण का यह कथन कि विक्रय पत्र में कब्जा देने का अंकन गलत होना, विक्रय पत्र में बिना बंटवाडा पडोस अंकित नहीं किया जा सकना, खरीददार द्वारा कब्जा प्रापत करने के अधिकारी नहीं होना, विपक्षी नम्बर 9, 10 व 11 स्ट्रेन्जर परचेजर होना, दान पत्र एवं बिकाव नामा प्रार्थीगण के मुकाबले बेअसर व शून्य प्रभावी होना आदि कथन प्रार्थीगण ने जानबूझकर मिथ्या, मनगढ़न्त एवं बैबुनियाद अंकित किये हैं।

12. उक्त आराजीयात में विपक्षी नम्बर 2 का 1/7 हिस्सा ही रहा हो व दान पत्र 1/2 हिस्सें का बिना अधिकार के किया गया हो। यह भी गलत है कि उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के सह खातेदारी की होकर विभाजन नहीं हुआ हो एवं बिना बंटवाडें के सहखातेदार को दान करने का अधिकार नहीं हों, यह भी गलत है कि विपक्षी नम्बर 6 से 8 ने 1/2 हिस्सा नहीं होते हुए भी अवैध दान पत्र के आधार पर गलत इन्द्राज करवा के नुमायशी रूप से 1/2 हिस्से की भूमि को विपक्षी नम्बर 9 से 11 को विक्रय कर दिया हो। जबकि वास्तविकता यह है कि जैसा कि उपर अंकित किया जा चुका है कि प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजीयात में किसी भी प्रकार का कोई भी हित, स्वत्व, अधिकार एवं आधिपत्य ही नहीं है तो प्रार्थीगण को इस प्रकार के कथन करने का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं हैं।

13. प्रार्थीगण ने दिनांक 25.11.2012 को उत्तरदाता विपक्षीगण को भूमि उनके नाम दर्ज कराने बाबत् कहा हो, यह भी गलत है कि विपक्षी नम्बर 9 से 11 ने प्रार्थीगण को कोई धमकी दी हो, यह भी गलत है कि प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की घोषणा एवं निषेधाज्ञा उत्तरदाता विपक्षीगण के विरूद्व प्राप्त करने का अधिकार हो, यह भी गलत है कि प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का नुकसान हो रहा हो। जब प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात में कोई हक एवं आधिपत्य ही नहीं हैं तो प्रार्थीगण को नुकसान होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। प्राईमाफैसी केस होना तो दूर, कोई केस ही नहीं है, न ही सुविधा संतुलन का बिन्दु ही प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

14. प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र में उत्तरदाता विपक्षीगण के विरूद्व किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण ने लालच के वशीभूत होकर उत्तरदाता विपक्षीगण ने नाजायज धन–राशि ऐठनें की गरज से यह मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्त योग्य है एवं उत्तरदाता विपक्षीगण धारा 35 (क) जा.दी. में बतौर विशेष हर्जा खर्चा 25000/– अक्षरे पचीस हजार रूपया प्रार्थीगण से प्राप्त करने के अधिकारी है जो प्रार्थीगण से दिलाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कराया जावें।

15. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र मुख्यतया इस आधार पर लाया गया है कि वे हरिदास जी की पुत्रीयां है एवं उनका वादग्रस्त आराजीयात में 1/7 हिस्सा होने से घोषित किया जावें किन्तु विपक्षी सं. 2 ने विपक्षी सं. 6 से 8 को व विपक्षी सं. 6 से 8 ने विपक्षी सं. 9 से 11 को अवैध हस्तान्तरण किये है जिससे उक्त हस्तान्तरण शून्य प्रभावी होने से प्रार्थीगण को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जावें। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात को मौरूसी बताया है एवं मौरूसी बताया है एवं मौरूसी में अपने हकों की मांग की है, जिससे विपक्षी सं. 2 द्वारा विपक्षी सं. 6 से 8 के पक्ष में किये गये दान पत्र एवं विपक्षी सं. 6 से 8 के द्वारा विपक्षी सं. 9 से 11 के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र शून्य प्रभावी नहीं होकर बकोल प्रार्थीगण शून्यकरणीय (Voidable) दस्तावेजों की श्रेणी में होने से ऐसे दस्तावेजों को जब तक सक्षम दीवानी न्यायालय से निरस्त नहीं करा दिया जावें तब तक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष चलने योग्य नहीं है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अभी तक ऐसा कोई भी वाद किसी भी सक्षम दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं यह प्रार्थना पत्र मात्र इसी बिन्दू के आधार पर निरस्त योग्य हैं।

16. इस प्रकरण में वास्तविकता इस प्रकार है कि विपक्षी सं. 1, 2 के पक्ष में आराजी सं. 224 मी एवं 225 मी. किता 2 रकबा 92 बीघा 15 बिस्वा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन के आधार पर विपक्षी सं. 1, 2 को प्राप्त हुई है जिसका निर्णय तहसीलदार जी मावली द्वारा दिनांक 14.07.1983 को प्रकरण सं. 59/83 विविध में किया गया हैं। जिसके आधार पर ये आराजीयात विपक्षी सं. 1, 2 के नाम पर समस्त राजस्व अभिलेखों में अंकित हुई है जिससे उक्त आराजीयात विपक्षी सं. 1, 2 की स्व. अर्जित भूमि हैं। जिसमें प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार एवं आधिपत्य नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं यह प्रार्थना पत्र मात्र इसी कानूनी बिन्दू के आधार पर निरस्त योग्य हैं। प्रार्थीगण द्वारा पूरे प्रार्थना पत्र में कहीं पर यह नहीं बताया गया है कि हरिदास जी की मृत्यु कब हुई है, जिससे की उत्तरदाता विपक्षीगण द्वारा उत्तराधिकार सम्बन्धित आपत्तियां ली जा सकें। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में हरिदास जी की मृत्यु बाबत् अंकन नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र मात्र इसी कानूनी बिन्दू के आधार पर निरस्त योग्य हैं।

17. इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय हैं कि प्रार्थीगण द्वारा पूरे प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताया गया है कि हरिदास जी के पास कुल कितनी कृषि आराजीयात की भूमि थी एवं प्रार्थीगण का कुल भूमि में कितना अधिकार बनता है। प्रार्थीगण ने इस कानूनी महत्वपूर्ण बिन्दू पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है कि उनका वाद एवं यह प्रार्थना पत्र हरिदास जी के वारिसान के आधार पर है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को हरिदास जी की समस्त भूमि को बताया जाना नितान्त आवश्यक है जहां तक इस बारे में उत्तरदाता विपक्षीगण

ने जानकारी प्राप्त की है तो हरिदास जी ग्राम खेमपुर के जागीरदार थें एवं उनके पास हजारों बीघा कृषि भूमि थी। जिससे हरिदास जी की मृत्यु के समय उनके पास जितनी भी भूमि थी उस सभी का वर्णन इस प्रार्थना पत्र में किया जाना आवश्यक है किन्तु प्रार्थीगण ने जानबूझकर मात्र उत्तरदाता विपक्षीगण से नाजायज रूप से धन राशि ऐंठने की गरज से यह मिथ्या प्रार्थना पत्र मात्र आराजी सं. 224 मी. एवं 225 मी. के लिए ही किया हैं। उत्तरदाता विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्सें के सद्भावी क्रेता है, उन्होनें बहूमूल्य राशि अदा कर, सम्पूर्ण स्वत्व का पता कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया हैं। इस कारण प्रार्थीगण को हरिदास जी की कुलिया भूमि को इस प्रार्थना पत्र में बताया जाना आवश्यक है, जिससे की विपक्षी सं. 2 के पक्ष में जितनी भी भूमि आवे उसमें से उनके हिस्सें की भूमि में से उत्तरदाता विपक्षीगण की भूमि का रकबा कम करते हुए उनके हक मे शेष भूमि रखी जा सकती हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तरदाता विपक्षीगण द्वारा अपने प्रयास से प्राप्त की गई अपूर्ण जानकारी के आधार पर भी उत्तरदाता विपक्षीगण को ज्ञात हुआ है कि विपक्षी सं. 1 से 4 के नाम अन्य आराजीयात आराजी सं. 102, 224/1, 225/1, 1647, 695 से 704, 1873/1091, 263 से 269, 271 से 276, 74 एवं 69 भी स्थित हैं, जिनके बारे में प्रार्थीगण ने जानबूझकर प्रार्थना पत्र में कोई अंकन नहीं किया हैं। इसके अतिरिक्त भी विपक्षीगण को ज्ञात हुआ है कि हरिदास जी की अन्य कृषि भूमि भी सैकडों बीघा में थी। जिनका भी प्रार्थीगण द्वारा अंकन नहीं किया गया हैं।

18. अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से सपरिव्यय निरस्त कराया जावें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

19. प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी सं. 9 से 11 के जवाब प्रार्थना पत्र एवं विशेष कथन का जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित विक्रय पत्र तारीख 11.10.2012 व दान पत्र तारीख 02.05.2007 शून्यकरणीय (वोइडेबल) हो, बल्कि कथित दस्तावेज शून्य हैं। प्रार्थीगण के विरूद्व बेअसर व शून्य है। इसके अलावा भी कथित दस्तावेज के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय से निरस्त कराने की आवश्यकता समझती है तो इस बिन्दु पर तनकी बनाई जाकर सिविल न्यायालय को तय करने हेतु भेजा जा सकता है, लेकिन वाद इसी न्यायालय के श्रवणाधिकार का हैं। प्रार्थीगण के अनुसार उक्त दान पत्र व विक्रय पत्र को दीवानी न्यायालय से निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं हैं।

20. विपक्षीगण का यह कहना कि विवादित आराजीयात का तहसीलदार, मावली के प्रकरण सं. 59/83 विविध में मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाडा किया जाकर विवादित आराजीयात विपक्षी नम्बर 1 व 2 के हिस्सें में आई है, गलत है। तहसीलदार मावली के प्रकरण सं. 59/83 विविध में प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा प्रार्थीगण के चुपके–चुपके यदि कोई तहसील से बंटवाडा कराया है तो वह प्रार्थीगण के विरूद्व बेअसर व शून्य हैं। विवादित आराजीयात विपक्षी नम्बर 1 व 2 के नाम स्वअर्जित भूमि होने से

विपक्षी नम्बर 1 व 2 के नाम दर्ज है तथा इसमें प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नहीं हो, बल्कि प्रार्थीगण का इसमें हक व हिस्सा हैं जिसका विस्तृत उल्लेख प्रार्थीगण ने अपने वाद पत्र में अंकित है। हरिदास जी के नाम पर विवादित आराजी के अलावा सैकडों बीघा जमीन हो, गलत हैं। हरिदास जी के पास विवादित भूमि के अलावा जो भूमि थी तो वो उन्होने अपने जीवनकाल में ही विक्रय कर दी है तथा अब विवादित आराजी ही शेष रही है, जिसका प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किया हैं।

21. विपक्षी सं. 1 से 4 के नाम पर आराजी नम्बर 102, 224/1, 225/1, 1647, 695 से 704, 1873/1091, 263 से 269, 271 से 276, 74 एवं 69 अंकित है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने कोई अंकन नहीं किया है, जबकि विपक्षी नम्बर 9 से 11 द्वारा जो जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन में यह बताया है कि विवादित आराजीयात तहसीलदार मावली के प्रकरण सं. 59/83 विविध से मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाडा किया गया हैं। इसी बंटवाडें में इन आराजीयात का भी उल्लेख किया गया है जो विपक्षी नम्बर 9 से 11 की जानकारी में है तथा उसमें यह बता रखा है कि कौनसा आराजी नम्बर किसके हिस्से में रखा गया है, इसके अलावा भी हरिदास जी के माता जी के नाम आराजी नम्बर 76, 77, 78, 79, 80, 81 कुल रकबा 37 बीघा 9 बिस्वा भूमि थी वो तथा अन्य भूमि जो हरिदास जी के चारो पुत्रों द्वारा विक्रय कर दी गई तथा प्रार्थीगण के हिस्सें की राशि प्रार्थीगण को अदा कर दी है, जिससे बेची गई भूमि का कोई विवाद नहीं रहा हैं।

22. विपक्षी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में इस तरह के जो उजर लिए है वह उजर विपक्षी नम्बर 9 से 11 को लेने का अधिकार नहीं हैं। अतः प्रार्थना है कि जवाबुल जवाब रेकार्ड पर लिवाया जाकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्व जारी फरमाई जावें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

23. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

24. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 9, 10, 11 के नाम दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि सहित अन्य भूमि के मध्य हरिदास जी के वारिस सुरेशसिंह, भगवतसिंह, जगदीशसिंह, किशनसिंह के मध्य आपसी बंटवाडा (विभाजन से वादग्रस्त आराजी नम्बर 224 मी., 225 मी. कुल रकबा 92 बीघा 15

बिस्वा) विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हुई। विभाजन से उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 व 2 की पृथक सम्पति (सेपरेट प्रोपर्टी) हैं। विपक्षी सं. 2 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि को विपक्षी सं. 6, 7, 8 के पक्ष में दान पत्र किया जाने से विपक्षी सं. 6, 7, 8 के नाम पर दर्ज हुई। एवं विपक्षी सं. 6, 7, 8 द्वारा उक्त भूमि को दिनांक 11.10.2012 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विपक्षी सं. 9 से 11 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया। चूंकि वर्तमान में विपक्षी सं. 9 से 11 रेकार्डेड खातेदार होकर सद्भावी क्रेता हैं। अतः रेकार्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी सं. 9 से 11 के पक्ष में साबित होता हैं। विपक्षी रेकार्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

2. *सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति*– चूंकि वाद वर्णित भूमि के विपक्षी सं. 9 से 11 खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। विपक्षी सं. 9 से 11 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय कर खातेदार बने हैं। विपक्षी द्वारा भूमि क्रय दिनांक 11.10.2012 से मौके पर अपना कब्जा बता रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला भी विपक्षी सं. 9 से 11 के पक्ष में साबित हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी विपक्षी सं. 9 से 11 के पक्ष में साबित होते है।

25. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि पूर्व में हरिदास जी के वारिस सुरेशसिंह, भगवतसिंह, जगदीशसिंह, किशनसिंह के नाम दर्ज थी। जो आपसी सहमति बंटवाडें के पश्चात् प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम पर दर्ज हुई। विपक्षी सं. 2 भगवतसिंह द्वारा अपने 1/2 हिस्सें को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र से दिनांक 04.05.2007 को विपक्षी सं. 6, 7, 8 पत्नी एवं पुत्रियों के पक्ष में पंजीयन करा दिया। उक्त भूमि विपक्षी सं. 6 से 8 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 11.10.2012 को विपक्षी सं. 9 से 11 को विक्रय कर दी। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से उक्त भूमि का दिनांक 14.07.83 को आपसी सहमति से पक्षकारों के मध्य विभाजन होकर भूमि पृथक पृथक दर्ज हो चुकी हैं। प्रार्थीयां द्वारा अपनी पैतृक सम्पति में घोषणा हेतु वाद केवल आंशिक आराजीयात में ही पेश किया गया है जबकि उसे हरिदास जी की समस्त आराजीयात पर वाद पेश किया जाना चाहिए था। चूंकि वर्तमान में भूमि विभाजन के पश्चात् पृथक सम्पति का विक्रय होकर विपक्षी 9 से 11 के नाम पर दर्ज है। विपक्षी सद्भावी क्रेता हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र को केन्सिल कराने बाबत् भी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं बताया। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि का बंटवाडा होकर पृथक सम्पति होने से भूमि को दान/विक्रय करने का पूरा अधिकार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का वर्तमान में विपक्षी सं. 9 से 11 सद्भावी क्रेता होकर खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि की खातेदार नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनो बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्व साबित हुए हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी खातेदार होने से खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाने

पर खातेदार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेंगा एवं भारी क्षति होगी। अतः विपक्षी खातेदार होने से खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली